



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-05062021-227388
CG-DL-W-05062021-227388

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 17] नई दिल्ली, मई 30 - जून 5, 2021, शनिवार/ ज्येष्ठ 9 - ज्येष्ठ 15, 1943
No. 17] NEW DELHI, MAY 30 - JUNE 5, 2021, SATURDAY/ JYAISTHA 9 - JYAISTHA 15, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 21 मई, 2021

सा.का.नि. 54.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जल संसाधन मंत्रालय, कमान क्षेत्र विकास (समूह “क” पद) भर्ती नियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, कमान क्षेत्र विकास (समूह ‘क’ पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. जल संसाधन मंत्रालय, कमान क्षेत्र विकास (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2013 में:-

(क) नियम 1 में, उपनियम (1) में "जल संसाधन मंत्रालय शब्दों के स्थान पर "जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"2 पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।"

(ग) अनुसूची में:-

(i) क्रम स्तंभ (11) (क) (ii) में, आयुक्त (कमान क्षेत्र विकास) के पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने, "(118500-214000 रु.) "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "(123100-215900) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13" शब्दों अंकों और कोष्ठकों को रखा जाएगा।

(ii) स्तंभ (4) में, ज्येष्ठ संयुक्त आयुक्त (कृषि विद्या) के पद से संबंधित, क्रम संख्या 2 के सामने स्तंभ शीर्षक और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात:

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 (123100-215900 रु.);

(iii) क्रम संख्या 3 और इससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा।

[फा. सं. ए-12034/8/2020-प्रशासन]

एस.बी. पांडेय, अवर सचिव

टिप्पणी:- अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 212, तारीख 22 अगस्त, 2013 द्वारा भारत के राजपत्र भाग (ii) खंड 3, उपखंड (i) में जल संसाधन मंत्रालय, कमान क्षेत्र विकास (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2013 में प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 307, तारीख 4 सितम्बर, 2017 द्वारा तत्पश्चात् संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

New Delhi, the 21st May, 2021

G.S.R. 54.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Water Resources, Command Area Development (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2013, namely:-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Command Area Development (Group 'A' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Water Resources, Command Area Development (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2013,-

(a) in rule 1, in sub-rule (1), for the words "Ministry of Water Resources", the words Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation" shall be substituted;

(b) for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

“2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.**—The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.”;

(c) in the Schedule,-

- (i) against serial number 1, relating to the post of Commissioner (Command Area Development), in column (11) (a)
- (ii) for the words, figures and brackets “Level 13 in the pay matrix (Rs. 118500- 214000)”, the words, figures and brackets “Level 13 in the pay matrix (123100-215900)” shall be substituted;
- (ii) against serial number 2, relating to the post of Senior Joint Commissioner (Agricultural Discipline), in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

“Level in pay matrix
(4)
Level 13 in the pay matrix (Rs. 123100-215900)”;

(iii) serial number 3 and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. A-12034/8/2020-Admin]

S.B. PANDEY, Under Secy.

Note: The Ministry of Water Resources, Command Area Development (Group ‘A’ Posts) Recruitment Rules, 2013 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 212, dated the 22nd August, 2013 and was subsequently amended vide notification number G.S.R. 307, dated the 4th September, 2017.